Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में हत्या की घटना कारित करने के आरोपी अमर उर्फ लक्ष्यको पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अमर उर्फ लक्ष्य पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2022 में वादिया की दो पुत्री व पति की हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 732/2022 धारा 302 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 20.08.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट -5 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अमर उर्फ लक्ष्य को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नि0 श्री अतर सिंह
प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

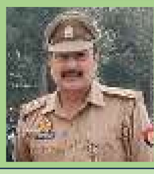

निरीक्षक नोवेन्द्रसिंह सिरोही
विवेचक

श्री अशोक सैनी एडीजीसी

है0का0 कुलदीप कुमार
कोर्ट पैराकार

Baghpat Police baghpatpolice @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

साइबर क्राइम सेल दिनांक 20.08.2026

साइबर क्राइम सेल व थाना साइबर क्राइम द्वारा साइबर पुलिस पोर्टल NCMEC से प्राप्त साइबर टिपलाइन रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मेटा प्लेटफार्म का उपयोग कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से सम्बन्धित अश्लील वीडियो अपलोड एवं प्रसारित करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोबाइल फोन बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.07.26 को गृह मंत्रालय भारत सरकार के साइबर पुलिस पोर्टल NCMEC से प्राप्त कुल 19 साइबर टिपलाइन रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए साइबर सेल बागपत द्वारा विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उक्त रिपोर्ट में मेटा प्लेटफार्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से सम्बन्धित अश्लील वीडियो अपलोड एवं प्रसारित करने का संज्ञान दिया गया था। जांच के क्रम में साइबर सेल बागपत द्वारा मुख्यालय पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0 साइबर क्राइम से प्राप्त समस्त प्रपत्रों, वीडियो एवं दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि 1.हर्ष चौधरी पुत्र पुनीत कुमार 2.अर्नव खोखर पुत्र सुधीर खोखर निवासीगण ग्राम तिलवाडा रोड पट्टी धनान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत के द्वारा उपरोक्त अपराध किया गया है, जो गंभीर एवं दण्डनीय अपराध है। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में थाना साइबर क्राइम व साइबर सेल बागपत द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 43/26 धारा 66 डी आईटी एक्ट व 15 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के आदेशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के पर्यवेक्षण में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत साइबर सेल व थाना साइबर क्राइम बागपत पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

बरामदगी का विवरणः-

- 02 अदद मोबाइल फोन

अभियुक्तों का नाम व पता –

1.हर्ष चौधरी पुत्र पुनीत कुमार निवासी तिलवाडा रोड पट्टी धन्नान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

2.अर्नव खोखर पुत्र सुधीर खोखर निवासी तिलवाडा रोड पट्टी धन्नान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राघवेन्द्र थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।

2- उ0नि0 श्री बिरजू शर्मा साइबर सेल जनपद बागपत।

3-का0 953 अंकुल कुमार साइबर सेल जनपद बागपत।

4-का0 963 प्रभात यादव साइबर सेल जनपद बागपत।

5-का0 478 अजीत कुन्तल साइबर सेल जनपद बागपत।

6-का0 986 प्रशान्त यादव थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 20.08.26**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 537/26 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस मे वाछिंत 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 20.08.2026 को वादी राहुल पुत्र जीत सिंह निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी, पट्टी भरवानिया बागपत ने थाना बागपत पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त मुरसलीन पुत्र साबू निवासी बाजना मस्जिद वाली गली श्यामनगर थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ द्वारा वादी के ट्यूबवैल का ताला तोड़कर ट्यूबवैल का टाइमर व लोहे का बक्सा चोरी कर लिया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 537/26 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 537/26 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से समरसेबल का टाईमर, लोहे का एक सब्बल, एक प्लास व तांबे का तार वजन करीब 50 ग्राम बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुरसलीन पुत्र साबू निवासी बाजना मस्जिद वाली गली श्यामनगर थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- समरसेबल का टाईमर
- लोहे का एक सब्बल
- एक प्लास
- तांबे का तार वजन करीब 50 ग्राम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-म0उ0नि0 श्री सीमा सिंह थाना कोतवाली बागपत।

2-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत।

3-है0का0 438 कवित थाना कोतवाली बागपत।

4-है0का0 437 बलजीत थाना कोतवाली बागपत।